Lyceum India Journal of Social Sciences | e-ISSN: 3048-6513
Peer-reviewed • Indexed • Open Access • Monthly Online Journal
Vol. 3, No. 8 | June 2026
DOI: 10.5281/zenodo.21005783

पंचायती राज व्यवस्था - एक विश्लेषण

न्याज अहमद खां[1]

[1] शोध छात्र, सी. एम. जे. विश्वविद्यालय, मेघालय

सार:-

भारतीय शासन व्यवस्था में स्थानीय लोकतंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए स्थानीय निकायांे को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। स्थानीय क्षेत्रों में पंचायती राज की व्यवस्था ऐसा ही प्रयास है। पंचायती राज स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक खोज है। इसका संबंध ग्रामीण क्षोत्रों में स्थानीय प्रशासन से है। पंचायती राज में ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय प्रशासन का कार्य स्थानीय लोगों तथा उनके प्रतिनिधियों को सौंपा जाता है। भारत में ग्रमीण क्षेत्रों का प्रशासन प्राचीन काल से चला आ रहा है। महात्मा गाँधी इन समुदायों अर्थात् पंचायतांे को स्वशासन की ईकाइयाँ बनाने की इच्छा व्यक्त करते थे। अंग्रेजी काल में पूर्व की पंचायतांे की व्याख्या समाप्त कर दी गई तथा उसके स्थान पर जमींनदारी तथा रैयतवारी आरंभ कर दी गई। स्वतंत्रता के पश्चात इन ग्रमीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था वापस लाने का प्रयास किया गया। भारतीय संविधान मे भारत में संधीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है। संधीय लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुसार भारत में राजधानी से ग्रमीण क्षेत्रों तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण इस तरह से किया गया है। भारत में तीन चैथाई जनता ग्रमीण है जो देश तथा राज्य की राजधानियों से दूर दराज क्षेत्रों में है। संविधान के अनुसार देश की संधीय व्यवस्था को मुख्य रूप से तीन स्तरों मे बाँटा ग्या है। सर्वोच्च स्तर पर केन्द्रीय सरकारए राज्य स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार होता है।

शब्द कुंजी:- भारत में पंचायतीए राज व्यवस्था का विकास एवं 73 वाँ संविधान संशोधन।

पंचायती राज व्यवस्था का विकास :–

मानव समाज की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के ख्याल से पंचायती राज व्यवस्था का विकास हुआ उसी को स्थानीय स्वशासन कहते है। मानव की हमेशा यह इच्छा रही है कि जो भी सरकार हो वह उसके ही शासित तथा अच्छी सरकार होनी चाहिए। पंचायत राज व्यवस्था वर्तमान समय में स्थानीय प्रशासन का अटूट अंग बन चुकी है। यह अनुमान लगया जा सकता है। कि जब से मानव समुदाय का उदय हुआ उसी समय से पंचायत व्यवस्था का जन्म ही हुआ होगा। स्थानीय स्वशासन का उल्लेख रामायण और महाभारत काव्य ग्रंथो में मिलता है। स्थानीय संस्थाओं का उल्लेख स्मृति ग्रंथो में भी मिलता है। मनुस्मृति के अनुसार ग्रामिक ग्रामणी शासन के लिए उत्तरदायी होता था। इस पदाधिकारी का मुख्य कार्य ग्रामवासियों से करो को एकत्रित करना था। यही ग्राम में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी था। मौर्य काल में प्रचलित ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था का विस्तृत विवरण 'कौटिल्य का अर्थशास्त्र' का है। कौटिय के अनुसार हर ग्राम का शासक अलग–अलग होता था। कौटिल्य के अनुसार 10 ग्रामों के मध्य 'संग्रहण' 200 ग्रामों के मध्य स्थानीय नामक स्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। वैदिक काल में भी भारतीय ग्रामों ने स्वायतता का उपयोग किया। मध्यकाल में एक सभा होती थी जो अपने क्षोत्र में शासन के सभी कार्य संभालती थी, स्थान एवं काल के भेद से ग्राम सभाओं के संगठन मे भिन्नता थी। ग्राम सभाओ का स्वरूप छोटे–छोटे राज्यों की तरह का था इसलिए वे प्रायः उन सभी वर्गों को करती थी जो राज्य किया करते थे। मौर्यकाल और गुप्तकाल की पंचायतों का रूप मुगलकाल में भी विद्यमान था। चौकीदार, मुखिया, लेखाकार पूर्व समय की ही तरह थे इस काल में भी शासन करते थें ब्रिटिशकालीन समय में अंग्रेज शासको ने पंचायतों को नकारना क्योंकि उन्हे इन समस्याओं के महत्व का ज्ञान नही था लेकिन बाद में पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने की कोशिश की। शुरूआत में अग्रेज शासकों ने ग्रामीण स्वशासन की जगह अधिकारी तंत्र को प्रोत्साहित किया ताकि भारतीय जनता

को ज्यादा से ज्यादा शोषित किया जा सके। ब्रिटिश प्रशासन के अधीन गॉवों की आत्मनिर्भरता की व्यवस्था नस्ट हो ग्ई थी तथा पंचायत व्यवस्था भी पूर्णतः शिथिल हो गई थी। बाद में अंग्रेज शासको ने स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की कोशिश की इन प्रयासों में वायसराय लार्ड रियन का सन् 1882 का प्रस्ताव प्रमुख है। जिसके जरिए ब्रिटिश शासन के अंतर्ग्त समस्त गॉवो तक कानूनी रूप से स्थानीय स्वशासन का विस्तार किया गया।

पंचायती राज व्यवस्था के विकास को गति देने के लिए गंधीवादी सिद्धान्तो को संविधान के अनुच्छेद 40 में शामिल किया ग्या है। जिसमें कहा ग्या है कि राज्य ग्राम पंचायत को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हे ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हे स्वशासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते है। संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन प्रसिद्ध गाँधीवाद नारायण अग्रवाल ने किया और पंचायती राज को संविधान के निर्देशक तत्वों के भाग में सम्मिलित किया गया।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम :–

स्वतंत्र भारत में स्थानीय जनता के जीवन स्तर में वृद्धि के लिए 1952 में 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम फोर्ड फाउण्डेशन की मदद से लागू किया ग्या। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्ग्त ग्रामीण लोगो को सस्ते बीज और बेहतर तकनीकी सुविधाएँ देने का प्रयत्न किया ग्या परन्तु इस कार्यक्रम को अपेक्षित सफलता नही मिली इसलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बलवन्त राय मेहता (1956) की स्थापना हुई।

पंचायती राज एवं उससे संबंधित समितियाँ :–

बलवन्त राय मेहता समिति :– इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मे कहा कि त्रिस्तरीय, पंचायति राज की स्थापना की जाएगी। इसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्षा एवं सीधा होगा। जबकि पंचायत समिति एवं जिला समिति का चुनाव अप्रत्यक्षा रूप में होगा। नियोजन एवं विकास की सभी गतिविधियाँ इन संस्थाओं को सौंपी जाए। पंचायत समिति (खण्ड स्तर) कार्यकारी निकाय के रूप में होगी। जबकि जिला परिषद की भूमिका सलाहकारी समन्वयकारी एवं पर्यवेक्षाण की होगी। जिला परिषद का चैयरमैन जिलाधिकारी होगा। इन संस्थाओं को प्रभावी कार्यक्रम के लिए उन्हें पर्याप्त संसाधन स्थानांतरित किए जाए और भविष्य में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाये। बलवन्त राय मेहता की सिफाारिशों के बाद पहली बार 02 Oct 1959 को राजस्थान के नागैर जिले में पंचायती राज लागू हुआ। परन्तु 60 के दशक में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अनेक संकट देखे ग्ए। दो यद्ध हुए भारत–चीन एवं भारत पाकिस्तान के मध्य जिससे खद्यान तथा आर्थिक संकट पैदा हुआ इसलिए पंचायतों का प्रभावी क्रियान्वयन नही हो सका।

अशोक मेहता समिति :– जनता पार्टी सरकार ने 1978 में अशोक मेहता समिति की स्थापना की जिसने 1978 में अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट की निम्न सुक्षाव हैं– त्रिस्तरीय पंचायती राज होगा जिसमें जिला परिषद एवं मण्डल पंचायत नामक दो स्तर होंगे। 15 से 20 हजार आबादी के लिए एक मण्डल पंचायत का गठन होगा समिति ने जिला स्तर को अधिक महत्व दिया तथा इसे जनपद स्तर पर योजनाओ के निर्माण के लिए उत्तरदायी और कार्यकारी निकाय के रूप में माना स्थानीय चुनावो के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की भागीदारी को औपचारिक मंजूरी दे दी गई समिति ने पंचायती राज संस्थाओं का कारारोपण की शक्तियाँ एवं अपने संसाधन उगाहने की शक्ति देने की भी अनुशंसा की। राज्य सरकारो द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के कार्यक्रम में हस्तक्षोप नही होना चाहिए। पंचायतो के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि में चुनाव हो। पंचायतो में एसटी एवं एससी जनजातियों को उनकी आबादी के अनुपात में सीटे आरक्षिात करने की सिफाारिश की। इस समिति ने पंचायती राज वित निगम की स्थापना का भी सुक्षाव दिया। राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद में एक पंचायती राज मंत्री की भी नियुक्ति होनी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयेग द्वारा पंचायतों के चुनाव आयोजित होने चाहिए। विकास पंचायतों से अलग एक न्याय पंचायत की भी स्थापना होनी चाहिए। जिसका अध्यक्ष एक न्यायधीश हो।

दाँतेवाला समिति :– इस समिति ने खण्ड स्तर पर नियोजन की अनुशंसा की गाँव, जनपद एवं राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन को अंतर्संबंधित करने पर बल दिया।

जी० वी० के० राव समिति :– योजना आयोग ने ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम की समीक्षाा के लिए 1985 में इस समिति को लाया गया। इस समिति ने ग्रामीण विकास के लिए पंचायतो का पुनर्जीवन को आवश्यक समझा और जिला परिषद सभी विकास कार्यक्रमों के निर्धारण में केन्द्रीय संस्था होनी चाहिए। समिति ने वित्त आयोग के गठन पंचायतों का कार्यकाल 05 वर्ष और त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन का सुझाव दिया।

लक्ष्मीमल सिंधवी समिति :– राजीव गाँधी (1986) सरकार ने लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायतो के पुनर्जीवन नामक समिति की स्थापना की जिसके अध्यक्ष एल० एम० सिंधवी थे। इस समिति के अनुसार पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान किया जाये। त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया जाये। यह तीन स्तर इस प्रकार होगा– ग्राम स्तरए खण्ड स्तर तथा जिला स्तर पर पंचायतों के चुनाव एक निशिचित अवधि में संपन्न कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की जाये। वित्त आयेग के प्रभावी कार्यकरण के लिए पर्याप्त अनुदान देना। राजनीतिक दलों की सहभगिता को हतोत्साहित करना पंचायतों में विवाद निपटाने के लिए न्याय पंचायत के गठन का सुझाव।

पी० के थुगन समिति :– सन् 1988 में थुगन समिति ने भी पंचायती राज को संवैधानिक आधार देने का समर्थन किया। परन्तु थुंगन समिति के अनुसार भारत में पंचायतों का संबंध सीधा संघ सरकार से होना चाहिए। अतः समिति ने पंचायती राज को राज्यों का विषय नही माना। यह बिन्दु उल्लेखनीय है कि सरकारिया आयोग ने भी पंचायती राज संस्थाओ को शक्तिशाली बनाने पर बल दिया था।

अन्ततः विभिन्न सरकारो द्वारा पंचायती राज लागू करने के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1991 में पी0 वी0 नरसिंह राव सरकार ने पुनः इसे संवैधानिक आधार देने का प्रयास किया तथा 73 वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हो गया और 1993 में यह लागू हो गया। यह संविधान संशोधन लागू होने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश राज्य में चुनाव हुए।

73 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम–1992 :–

नागरिक समाज संग्ठनों, बुद्धिजीवियों आदि के निरंतर प्रयास के कारण संसद ने संविधान संशोधन और शहरी स्थानीय निकायो के लिए 74वाँ संविधान संशोधन जो उन्हे संस्थान बनाते है शहरी स्वशासन का।

अधिनियम का महत्व :–

इसने पंचायतों को संविधान के भाग–9 (अनुच्छेद–243 से 243 ओ) को जोड़ा और ग्यारहवीं अनुसूची को भी जोड़ा जिसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय शामिल है। यह संविधान के अनुच्छेद–40 को आकार प्रदान करता है जो राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हे अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है ताकि वे स्वशासन के रूप में कार्य कर सके। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है और उन्हे संविधान के न्यायसंग्त भाग के दायरे में लाता है। अधिनियम के दो भाग है अनिवार्य और स्वैच्छिक अनिवार्य प्रावधानों को राज्य के कानूनों मे जोड़ा जाना चाहिए जिसमें नई पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण शामिल है। दूसरी ओर स्वैच्छिक प्रावधान राज्य सरकार के स्वविवेक पर शामिल हो सकते हैं यह देश में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है और इसने प्रतिनिधि लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में बदल दिया है।

1992 के 73 वें संधिान संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ ग्राम सभा :–

यह पंचायत के क्षेत्र के भीतर सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर एक ग्राम सभा है जिसे पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय माना जाता है। यह शक्तियों का प्रयोग करता है और राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित कार्यों को करता है।

त्रिस्तरीय प्रणाली :– अधिनियम राज्यों (गाँव, मध्यवर्ती, और जिला स्तर) में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रदान करता है। हालाँकि 20 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर का गठन नही कर सकते है।

सदस्यों और अध्यक्ष का चुनाव :– पंचायती राज के सभी स्तरों के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते है। साथ ही ग्राम स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

सीटो का आरक्षण :– इसमें कहा गया है कि एससी और एसटी के लिए तीनों स्तरों पर उनकी जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाना है। महिलाओं के मामले में महिलाओ के लिये आरक्षित सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई से कम नही होना चाहिये। यह भी प्रावधान है कि पंचायत के सभी स्तरों पर अध्यक्षों के लिये कुल पदों में से कम से कम एक तिहाई पद महिला के लिये आरक्षित हागे। यह अधिनियम राज्य विधानसभाओं को पिछड़े वर्गों के पक्ष में पंचायत या अध्ययन के कार्यालय के किसी भी स्तर पर सीटों के आरक्षण पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत करता है।

पंचायत की अवधि :– अधिनियम पंचायत के सभी स्तरों के लिये पाँच साल के कार्यकाल का प्रावधान करता है जिसे अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग भी किया जा सकता है। इसके अलावा नई पंचायत के गठन के लिये नये सिरे से चुनाव पूरा किया जायेगा। इसकी पाँच साल की अवधि की समाप्ति से पहले विघटन के मामले में विधटन की तारीख से छह महीने की अवधि की समाप्ति से पहले।

राज्य चुनाव आयोग :– यह मतदाता सूची तैयार करने और पंचायत के लिये चुनाव कराने के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण के लिये जिम्मेदार हैं इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य चुनाव आयुक्त होता है। राज्यपाल राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा की शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण करता है। राज्य विधायिका पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों से संबंधित प्रावधान कर सकती है।

शक्तियाँ और कार्य :– पंचायतों को राज्य विधानमण्डल द्वारा स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार दिए जा सकते है। इस तरह की योजनओं में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने और उसके कार्यान्वयन से संबंधित ग्राम पंचायत के कार्य संबंधित प्रावधान हो सकते हैं।

वित्त आयोग :– पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद राज्य के बाद राज्यपाल द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा इस संबंध में यह राज्यपाल को निम्न सिफारिशे करेगा, वे सिद्धांत जो राज्य और पंचायतों के बीच करो, शुल्कों आदि की शुद्ध आय के विवरण को नियंत्रित करते है और राज्य द्वारा लगाये गये शुल्क और सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच शेयरों के आवंटन करों शुल्कों **टोटो** का निर्धारण और फीस जो पंचायतों को सौंपी जा सकती है। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान। पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय और राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट को अन्य मामला आयोग की संरचना इसके सदस्यों की आवश्यक योग्यताएं और उनके चयन का तरीका राज्य विधानमण्डल द्वारा प्रदान किया जा सकता है। राज्यपाल को राज्य विधानमण्डल के समक्ष रिपोर्ट पर की आवश्यक है। राज्य विधायिका पंचायतों के खातों के रख–रखाव और लेखा परीक्षा के लिए प्रावधान कर सकती है।

भाग–IX के प्रावधान कई केन्द्र शासित प्रदेशों पर लागू होते है। लेकिन राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकते है कि वे ऐसे अपवादों और संशोधनो के अधीन एक केन्द्र शासित प्रदेश पर लागू होंगे जो वह निर्दिष्ट कर सकते है।

वर्तमान कानूनी प्रावधान :–

राज्यों को 24 अप्रेल 1993 से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनियम के आधार पर नई पंचायती राज प्रणाली को अपनाना होगा जो अधिनियम के लागू होने की तारीख थी। इसमें यह भी प्रावधान है कि अधिनियम के लागू होने से ठीक पहले मौजूद सभी पंचायतें अपने कार्यकाल की साप्ति तक जारी रहगी जब तक कि राज्य विद्यानमण्डल द्वारा जल्द ही भंग न कर दी जाये।

न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक :– यह अधिनियम अदालतों को पंचायतों के चुनावी मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकता है और घोषणा करता है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीटों के आंवटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी अदालत में सवाल नही उठाया जा सकता है। उसके अतिरिक्त किसी भी पंचायत के चुनाव पर सवाल नही उठाया जा सकता है। सिवाय इसके कि चुनाव याचिका को ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाये और इस तरह से राज्य विधायिका द्वारा प्रदान किया गया हो।

1996 का पेसा अधिनियम :–

73 वाँ संशोधन अधिनियम नागालैण्ड, मेघालय और मिजोरम राज्यों और कुछ अन्य क्षेत्र पर लागू नही होता है। कुछ अन्य क्षेत्रों राज्यों मे अनुसूचित क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र जिसके लिये एक जिला परिषद मौजूद है और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला जिसके लिये दार्जलिंग गोरखा हिल कांउसिंल मौजूद है। हालांकि संसद भाग–IX को उपर्युक्त क्षेत्रों तक विस्तारित कर सकती है जो अपवाद और संशोधन के अधीन है। इस प्रकार पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार–पेसा) अधिनियम अधिनियमित किया गया था। आंध्र प्रदेश, छतीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना पाँचवी अनुसूची वाले राज्य हैं जो पेसा के अत्तर्गत आते है।

निष्कर्ष :–

पंचायती राज संस्थाओं को सुर्खियों में लाने के लिये केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गये संवैधानिक कदमों के परिणामस्वरूप भारत बहुस्तरीय संघवाद के रूप में वर्णित की ओर बढ़ गया है। इसने देश में जमीनी स्तर पर शासन और मुद्दों के निवारण को लाकर भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक आधार को भी विस्तारित किया है।

संदर्भ सूची :–

1प प्रसाद लाल बहादूर, भारतीय राजनीति और सरकार, पृ० सं–187

2प शर्मा डॉ० वीरेन्द्र, शर्मा डॉ० रिच्चा शर्मा, पंचायती राज, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2008 पृ० सं० 1,2

3प वही पृ० सं० 97

4प वही पृ० सं० 100

5प मिश्रा राजेश, राजनीति विज्ञान : एक समग्र अध्ययन, पृ० सं० 293, 294

6प इन्टरनेट।

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the publisher, editors, or the editorial board.*